२५।५।१५

पत्रा. [illegible] [illegible]। प्रार्थना-
[illegible] [illegible] [illegible] जाकर [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] जाकर [illegible] दाखिल
पत्रावली।

पत्रा. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
जाकर दाखिल [illegible]

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 156 / 2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019 / 00234
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 24.04.2024

1. मन्जू पुत्री तेजपाल जाति खटीक निवासी गोबरा तहसील नदबई (भरतपुर)

प्रार्थीया

बनाम

1. तेजपाल पुत्र टुण्डा जाति खटीक निवासी गोबरा तहसील नदबई (भरतपुर)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. सबरजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री परशुराम एड.(प्रार्थी की ओर से)
श्री पूरनसिंह एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता सं. 115 के खसरा न. 1286 रकवा 0.39, 1287 रकवा 0.39, 1288 रकवा 0.82, 1293 रकवा 0.82, 1294 रकवा 0.48, 1295 रकवा 0.54, 1296 रकवा 0.54 किता 7 रकवा 3.98 है. वाके

२५/५/२५

ग्राम गोबरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 1/6 हिस्से का व हाल आराजी खाता सं. 143 के आराजी खसरा 1289 रकवा 0.03, 1297 रकवा 0.02 किता 2 रकवा 0.05 वाके ग्राम गोबरा तहसील नदबई में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है। दर्ज रेवन्यू रिकॉर्ड है, नकल जमाबंदी सं. 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि विवादित आराजी वण्रित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति कर आराजी है। जिस पर प्रार्थी एव अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का सजरा संलग्न है।

4. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी की पैतृक संपत्ति की आराजी है। जिपर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का अप्रार्थीगण सं. 1 के नाम चली आरही है। जबकि विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के साथ –साथ प्रार्थीया का हक व हकूक जन्म से ही है। क्योंकि विवादित आराजी तेजपाल को उसके मृतक पिता यानि प्रार्थीया के बाबा टुण्डा से प्राप्त हुई है। जिसे अप्रार्थी सं. 1 जो कि फिजूल खर्चीला टाईप का व्यक्ति है। रहनवयमुन्तकिल करने पर आमादा है। जिस से प्रार्थीया को सख्तहकतलफी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के नाम चले आ रहे

24/4/24

... 0.54 किता 7 रकबा 3.78 हैक्ट.

वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया अपने आपको अप्रार्थी सं. 1 के साथ साथ मुताबिक हिस्सा समूल प्रतिवादी सं. 4 लगायत 9 खातेदार काश्तकार काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है।

5. यह कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया को दिनांक 27.11.2019 को यह एलानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे व प्रार्थीया को उसकी आराजी से बेदखल कर देंगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि अप्रार्थी सं. 1 अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूणिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वह विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजामहत न करें रहनवयमुन्तकिल नहीं करें तथा राजस्व रिकॉर्ड की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

6. अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजामहत न करें रहनवयमुन्तकिल नहीं करें तथा कब्जा काश्त में दखल नहीं करें व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

24/4/24

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी की तरफ से श्री पूरनसिंह एडवोकेट उपस्थित हुये, जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

1. यह कि मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है।
2. यह कि मद सं. 2 में वर्णित रकवा गोबरा में स्थित होना स्वीकार है, और मृतक टुण्डा ही आराजी पर विरासतन अप्रार्थी सं. 1 काबिज काश्त है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 03 स्वीकार है।
4. यह कि मद सं. 4 स्वीकार नहीं है, मद सं. 2 में वर्णित आराजी पैतृक होना स्वीकार है, जिस पर अप्रार्थी सं. 1 तेजपाल अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज काश्त है। प्रार्थीया का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। प्रार्थीया का उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के जीवनकाल में जीते जी कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 कतई फिजूलखर्चा वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि अप्रार्थी सं. 1 अपनी आराजी से ही प्रार्थीया की शादी वगैरा की इसलिय`जब तक अप्रार्थी सं. 1 तेजपाल के जीवन काल में काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। जब उक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता टुण्डा से विरासत में प्राप्त हुई उस समय प्रार्थीया का जन्म भी नहीं हुआ था इसलिये प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है, ओर दावा व प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
5. यह कि मद सं. 5 अस्वीकार है, अप्रार्थी सं. 1 ने कभी किसी को कोई धमकी नहीं दी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसके पुत्र पुत्रियों की शादी आदि

24/5/24

में काफी कर्जा हो गया, तथा कृषि उन्नति आदि के लिये अप्रार्थी बैंक से ऋण लेना चाहता है जिसके कारण अप्रार्थी को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से उक्त दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी नहीं है, और अपने पिता के जीवनकाल में खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी नहीं है।

6. यह कि मद सं. स्वीकार नहीं है, प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074–2077 वाके ग्राम गोबरा, तहसील नदबई पेश की गई।

8. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान कहा कि मेरे द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 88,88,188 आरटीए के तहत पेश किया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए की मद सं. 2 वर्णित आराजी वाके ग्राम गोबरा तहसील नदबई पर स्थित है, उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैत्रिक आराजी है पैत्रिक आराजी अपने बाबा टुण्डा से प्राप्त है। उक्त पैत्रिक आराजी में प्रार्थी का जन्म से अधिकार है। अतः जारी शुदा स्थगन आदेश को दावे के निस्तारण तक कन्र्फम किया जावें।

अप्रार्थी वकील का कथन है कि प्रार्थीया कि शादी कर दीगई है जो कि मेरे द्वारा ही कि गई है। एवं में खातेदार काश्तकार हूँ। मुझे

24/4/24

के.सी.सी. लेनी है तथा परिवार के सभी सदस्य स्थगन से पाबन्द है। अत जारी शुदा स्थगन खारिज किया जावें।

9. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :—

1. <u>पृथमदृष्टया केस</u>— प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा का पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। विवादित आराजी खाता सं. 115 के खसरा न. 1286 रकवा 0.39, 1287 रकवा 0.39, 1288 रकवा 0.82, 1293 रकवा 0.82, 1294 रकवा 0.48, 1295 रकवा 0.54, 1296 रकवा 0.54 किता 7 रकवा 3.98 है. वाके ग्राम गोबरा तहसील नदबई में स्थित है। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 1/8 हिस्से का व हाल आराजी खाता सं. 143 के आराजी खसरा 1289 रकवा 0.03, 1297 रकवा 0.02 किता 2 रकवा 0.05 वाके ग्राम गोबरा तहसील नदबई में स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दरूतावेजात से साबित है कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीया के पिता तेजपाल को उक्त आराजी टुण्डा से विरासतन के रूप में प्राप्त हुई है। तथा अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब दावा में भी उक्त विवादित आराजी को पैत्रिक होना स्वीकार किया है कि उक्त विवादित आराजी अपने पिता टुण्डा से विरासतन के रूप में प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी पैत्रिक है। इसके अलावा पत्रावली में अभी

24/4/24

तनकीयात कायम कि जाकर साक्ष्य लेकर विवादित भूमि का निर्णय मैरिट पर तय किया जावेगा एवं वाद कि विषय वस्तु को वाद के निस्तारण तक बनाये रखना आवश्यक है तथा यह भी जरूरी है कि बैजात तौर पर मुकदमे बाजी ना बढे तथा वाद के निस्तारण में कठिनाईया पैदा ना हो इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित में बखूबी साबित है।

2. **सुविधा का सतुलन** – मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

3. **अपूर्ण क्षति** – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का अन्देसा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 ताफैसला इस आशय के कन्फर्मन किया जाता है कि विवादित आराजी की रिकॉर्ड कि यथा स्थिति बनाऐ रखे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/5/24

(गंगाधर मीना, R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज